

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. पंजाब नेशनल बैंक बनाम घेवरचंद दीवानी वाद संख्या – 71/2021(47/2012) सीआईएस संख्या – 601/2014	Brief note of Compliance of Order
20.02.2025	<p>वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा वादी बैंक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांकित 11.02.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।</p> <p>दौराने बहस अधिवक्ता वादी बैंक ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किए कि वाद प्रस्तुतकर्ता टी.आर. मीणा भूतपूर्व प्रबंधक वादी बैंक द्वारा उनके पक्ष में जारी पॉवर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 24.04.1992 की छायाप्रति पत्रावली पर वाद के साथ पेश कर दी गई थी। पॉवर ऑफ अटॉर्नी विभिन्न दावों में पेश होती है। अतः असल पेश नहीं की गई है जो प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है उसे रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया।</p> <p>उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान की ओर से लिखित जवाब पेश करते हुए प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि उक्त दस्तावेज काफी विलंब से पेश किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया।</p> <p>उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं परिशीलन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि वादी बैंक पीएनबी की ओर से वादपत्र वरिष्ठ प्रबंधक टी.आर. मीणा की ओर से प्रस्तुत किया गया था तथा पॉवर ऑफ अटॉर्नी की छायाप्रति दिनांक 25.09.2012 को वादपत्र प्रस्तुति के पश्चात पेश की गई थी। वादी साक्ष्य में उक्त दस्तावेज छायाप्रति होने से प्रदर्शित नहीं किया जा सकते। दस्तावेज प्रकरण से संबंधित है एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु यद्यपि वादपत्र प्रस्तुत के पश्चात छायाप्रति दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है परंतु विधिक प्रावधानों के अनुसार असल दस्तावेज वादपत्र के साथ ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कि अत्यधिक विलंब से पेश किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में विलंब की पूर्ति हेतु वादी पर कोस्ट राशि अधिरोपित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 सीपीसी 500/- रुपये की कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए जाते हैं। कोस्ट अदायगी उक्त दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लेने की पूर्वभावी शर्त रहेगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 25.02.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(शालिनी शर्मा) अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-02, किशनगढ़, जिला अजमेर।</p>	